



दूरभाष- 07755-264088  
E-mail : collector-mgl.cg@gov.in

## कार्यालय कलेक्टर, जिला- मुंगेली(छ.ग.)

:: आदेश ::


पत्र क्रमांक/ 4064/नि0स0/2024/

मुंगेली, दिनांक 16/07/2024

श्री दीपक कुमार देवांगन, उपअभियंता, नगरपालिका परिषद, मुंगेली, जिला- मुंगेली को बिना अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, विकास कार्यों में रुचि नहीं लेने से निकाय के महत्वपूर्ण कार्य बाधित होने, लगातार आमजन की शिकायतें प्राप्त होने तथा नगरपालिका परिषद, मुंगेली को विशेष सम्मलेन दिनांक 26.09.2023 के संकल्प क्रमांक-21 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये छ0ग0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

श्री दीपक कुमार देवांगन, उपअभियंता की निलंबन अवधि में मुख्यालय नगरपालिका परिषद, लोरमी नियत किया जाता है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


क्रियम-58,

  
(राहुल देव)  
कलेक्टर

जिला-मुंगेली (छत्तीसगढ़)  
मुंगेली, दिनांक /07/2024

पृष्ठांकन क्रमांक/ 4065/नि0स0/2024/  
प्रतिलिपि :-

01. सचिव, छ0ग0शासन, नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. संचालक, नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
03. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
04. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मुंगेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत। श्री दीपक कुमार देवांगन, उपअभियंता के निलंबन आदेश (संलग्न)की तामिली कराकर प्राप्ति अभिस्वीकृति अविलंब इस कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
05. संबंधित श्री दीपक कुमार देवांगन, उपअभियंता, नगरपालिका परिषद, मुंगेली को सूचनार्थ एवं पालनार्थ के साथ-साथ आपको निर्देशित किया जाता है कि सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

  
कलेक्टर  
जिला-मुंगेली (छत्तीसगढ़)  
16/7